Tender

NORTH EASTERN RAILWAY

कार्यालय
मण्डल रेल प्रबंधक/विधि
पूर्वोत्तर रेलवे,लखनऊ

सं0-E/X/263/Misc/Court/LKO/2019

दिनांक 09.12.2024

समस्त शाखाधिकारी व उप मु० सि० एवं टेली० इंजी०
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

विषय- निविदा संबंधी मामलों में पावर ऑफ अटार्नी की विधिक विधीक्षा/विधिक राय दिए जाने के संबंध में

संदर्भ- वरिष्ठ विधि अधिकारी, गोरखपुर का पत्रांक- C/78/LO/Misc/HQ/2024, दिनांक 05.08.2024

संदर्भित पत्र में वरिष्ठ विधि अधिकारी, गोरखपुर द्वारा पावर ऑफ़ अटार्नी के सम्बन्ध में व्यापक दिशा निर्देश दिया गया है, जो निम्न प्रकार है:-

मुख्तारनामा (Power of Attorney) के विधिक विधिक्षा के सम्बन्ध में यह पाया गया है कि मण्डल के विधि विभाग के मतों में भिन्नता है, जिससे प्रशासन के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न हो रही है।इसके दृष्टिगत लागू नियमों एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सभी विधि अधिकारियों तथा मुख्य विधि सहायकों को निर्देशित किया जाता है कि मुख्तारनामा (Power of Attorney) की विधिक विधिक्षा करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे कि मामलों मे एकरूपता बनी रहे, और भविष्य में किसी भी प्रकार की विधिक जटिलता से बचा जा सके-

1. मुख्तारनामा (Power of Attorney),संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्धारित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर जारी होना चाहिए।
2. मुख्तारनामा (Power of Attorney) को समुचित एवं प्राधिकृत निष्पादक/निष्पादकों द्वारा समुचित रूप से निष्पादित किया गया होना चाहिए तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निष्पादक/निष्पादकों का हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मुख्तारनामा में निष्पादक/निष्पादकों द्वारा अनुसमर्थन खंड (RATIFICATION CLAUSE) अवश्य उल्लेख किया जाना चाहिए।
3. मुख्तारनामा (Power of Attorney) जिस व्यक्ति के पक्ष में दिया जा रहा है, उसका पूर्ण नाम, पता, हस्ताक्षर (स्वीकृति के साथ) समुचित स्थान पर होना चाहिए।
4. मुख्तारनामा (Power of Attorney) को दो साक्षियों की उपस्थिति में निष्पादित किया गया होना चाहिए तथा उक्त अभिलेख में दो साक्षियों का पूर्ण नाम, पता एवं हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

Nagesh 9.12.2024

AnyScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by ASHISH NATHANIEL
Date: 2025.07.08 16:26:18 IST
Reason: IREPS-CRIS
Location: New Delhi

Scanned with OKEN Scanner

5. जीसीसी के प्रावधानों के अनुसार, जैसा आवश्यक हो,मुख्तारनामा (Power of Attorney) या तो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त पब्लिक नोटरी द्वारा प्रत्येक पृष्ठ स्पष्टतः नोटराइज्डकिया गया होना चाहिए या प्रचलित पंजीकरण विधि/अधिनियमके अनुसार समुचित रूप से पंजीकृत होना चाहिए।
6. मुख्तारनामा (Power of Attorney) हेतु भागीदारी फर्म/ एकल स्वामित्वफर्म/ कंपनी/ पंजीकृत सोसाइटी/ पंजीकृत ट्रस्ट/ एलएलपी/ एचयूएफ इत्यादि (जैसी भी स्थिति हो) के सुसंगत तथा आवश्यक विधिक प्रपत्रों की समुचित जाँच आवश्यक है।
7. मुख्तारनामा (Power of Attorney) को जीसीसी के पैरा-15 (यथासंशोधित) के अनुरूप होना आवश्यक है।
8. यधपि कि उपर्युक्त दिशा-निर्देश विस्तृत रूप से जारी किए गए हैं फिर भी मुख्तारनामा (Power of Attorney) के संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार/राज्य सरकार/रेलवे बोर्ड/रेलवे प्रशासन द्वारा जारी नियम/विनियम/दिशा-निर्देश का पालन किया जाना अपेक्षित है।

चूंकि पावर ऑफ अटार्नी के सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा व्यापक दिशा निर्देश/नियम निर्गत हो चुका है अत: सभी शाखाधिकारियों से अनुरोध है कि अपनी शाखा द्वारा निर्गत की गयी निविदाओं में पावर ऑफ अटार्नी की विधिक विधिक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी को भेजने के पूर्व मुख्यालय द्वारा प्रेषित दिशा निर्देशों के आधार पर निविदा कमेटी से जाँच सुनिश्चित कराकर ही, यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो विधिक विधिक्षा हेतु मिसिल अपनी वांछा करते हुए भेजे |

Nagesh 9.12.2024

(नागेश चन्द्र मिश्र)

विधि अधिकारी

प्रतिलिपि- अपर मंडल रेल प्रबंधक /इन्फ्रा महोदय, पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ को सादर सूचनार्थ

AnyScanner

Scanned with OKEN Scanner